

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक: मु.अ./अनु.ग्यारह/2017/डी-

793


दिनांक: 10/10/2017

परिपत्र

शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के आदेश क्रमांक:एफ 2 (4) एफ.डी./पी. डब्ल्यू एफ. एण्ड ए.आर./99 पार्ट-2 दिनांक:10.10.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा संवेदकों के रजिस्ट्रेशन संबंधित लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम, खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-XVI " सार्वजनिक निर्माण विभाग में संवेदकों के रजिस्ट्रेशन संबंधित नियम " में संशोधन किये गये हैं, जो कि तुरन्त प्रभाव से लागू किये गये हैं।

अतः उक्त आदेशों की अनुपालना में निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में संवेदकों का रजिस्ट्रेशन करते समय उक्त आदेश में उल्लेखित प्रावधानों की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:उपरोक्तानुसार



(सी.एल. वर्मा)

मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: मु.अ./अनु.ग्यारह/2017/डी- 793

दिनांक: 10/10/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

- 1.निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- 2.निजी सहायक, मुख्य अभियंता (भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./पथ/यांत्रिक) सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- 3.अतिरिक्त मुख्य अभियंता, समस्त संभाग, सा.नि.वि.।
- 4.तकनीकी सहायक प्रथम/अधिषण अभियंता(भवन/एन.एच./पीएमजीएसवाई/एस.एस./यातायात/पथ/बी.ओ.टी./मैकेनिकल) सा.नि.वि., राजस्थान।
- 5.अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. (समस्त वृत कार्यालय)
- 6.मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/खण्डिय लेखाधिकारी/खण्डिय लेखाकार (मुख्यालय/समस्त संभाग/वृत कार्यालय/खण्ड कार्यालय, सा.नि.वि., राजस्थान।
- 7.अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
- 8.अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. (समस्त खण्ड कार्यालय)
- 9.संयुक्त निदेशक (सिस्टम ऐनालिस्ट) सा.नि.वि. को भिजवाकर लेख है कि उक्त परिपत्र को सा.नि.वि. की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करने का श्रम करें।
- 10.रक्षित पत्रावली।



(सुरेश कुमार वर्मा)
वित्तीय सलाहकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर

